अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2003

का.आ. 901(अ).— जबकि, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) के अन्तर्गत जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की दिनांक 3 अक्तूबर, 1997 की अधिसूचना सं0 सा0 आ0 698(अ0)द्वारा केन्द्रीय सरकार ने माता लक्ष्मी रोटरी चैरिटेबल सोसायटी, स्टेशन रोड, आदिपुर, कच्छ-370205, गुजरात, द्वारा आदिपुर, कच्छ गुजरात में व्यावसायिक प्रशिक्षण/बधिर बच्चो के पुनर्वास के लिए भवन का निर्माण, उपस्करों की खरीद तथा विद्यालय को चलाने की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 1998-1999 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन वर्षों की अवधि के लिए एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में क्रम संख्या 2 पर विनिर्दिष्ट किया था, जिसे बाद में दिनांक 4 जनवरी, 2000 की अधिसूचना सं0 सा0 आ0 17(अ0)द्वारा परियोजना की लागत में वृद्धि करने के लिए संशोधित किया गया था, जिसे बाद में दिनांक 11 फरवरी, 2000 की अधिसूचना सं0 सा0 आ0 121 (अ0) द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2001-2002 से आरम्भ होने वाले वर्ष से तीन कर निर्धारण वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था, और जिसे बाद में दिनांक 20-9-2001 की अधिसूचना सं0 सा0 आ0 913(अ0) द्वारा पुनः संशोधित किया गया था ;

और जबकि उक्त परियोजना या स्कीम के छः वर्षों से अधिक चलने की संभावना है;

और, जबकि राष्ट्रीय समिति का यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना अथवा स्कीम उपर्युक्त रूप से निष्पादित की जा रही है, समिति ने आयकर नियमावली 1962 के नियम 11 ड के उपनियम(5) के अन्तर्गत उक्त परियोजना अथवा स्कीम को तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्दिष्ट करने के लिए सिफारिश की है;

इसलिए, अब केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961(1961 का 43)की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खण्ड(ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माता लक्ष्मी रोटरी चैरिटेबल सोसायटी, स्टेशन रोड, आदिपुर, कच्छ-370205 द्वारा आदिपुर, कच्छ गुजरात मे व्यावसायिक प्रशिक्षण/बधिर बच्चो के पुनर्वास के लिए भवन का निर्माण, उपस्करों की खरीद तथा विद्यालय को चलाने की परियोजना या स्कीम को कर निर्धारण वर्ष 2004-2005 से प्रारंभ होने वाले वर्ष से तीन वर्षो की आगे की अवधि के लिए अड़तालीस लाख, उनसठ हजार (पन्द्रह लाख रूपये की कार्पस निधि सहित) अनुमानित लागत पर एक पात्र परियोजना अथवा स्कीम के रूप में विनिर्दिष्ट करती है ।

[सं. 197-2003/फा. सं. एन.सी. 151/2003]

ए. जे. मजूमदार, सचिव (राष्ट्रीय समिति)